न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 118/2022

अनवान : –

1. रामेश्वरलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार मनफूलराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. कृष्णा देवी पुत्री मनफूलराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक: 04/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 2 के. एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 14/15 के प० नं0 221/385 (2) के किला नं. 16 व 25 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० भूमि व रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 11/11 के प० नं० 229/389 (1) के किला न. 24/1 की 0.0520 है० भूमि व प० नं० 229/388 (4) के किला नं. 3/1 की 0.2020 है०, 8 की 0.2530 है०, 9/3 की 0.0765 है0, 19/2 की 0.2020 है०, व 20 ता 22 प्रत्येक की 0. 2530 है० व प० नं0 229/389 (10) के किला नं. 1/1 की 0.2270 है0, 1/2 की 0.0260 है० गै० मु० खाला, 2/1 की 0.2280 है0, 2/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला कुल किता 12 का कुल क्षेत्रफल 2.0505 है० भूमि व चक 1 के एम के खाता संख्या 11/12 की 0.113 है० भूमि गैरसायला संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि सायलान व तरतीबी प्रतिवादीगण 4 की दादालाई कृषि भूमि है उक्त भूमि सायलान के पिता मनफूलराम पुत्र हरखाराम सायलान के नाम दर्ज थी। सायलान के पिता मनफूलराम पुत्र हरखाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सायलान संख्या 1 ता 2. तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व गैरसायला संख्या 1 है। गैरसायला संख्या 1 जो कि काफी तेज तर्रार हैं जिसने मनफूलराम को अपने प्रभाव में लेकर व धोखे में रखकर गलत तरीके से भूमि जरिये दानपत्र अपने नाम करवा लीं [illegible] उपरोक्त भूमि में सायलान संख्या 1 ता 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 गैरसायला [illegible] है० हक हिस्सा है। गैरसायला संख्या 1 कृष्णा [illegible] सायलान व तरती[illegible]वादी संख्या 4 के कब्जा काश्त में है तथा विधि विरूद्ध तरीके से [illegible]पत्र की शर्तों को पु[illegible] बिना किया गया है दानग्रहिता ने दान देहिता को धोके में रखकर लिखा पढ़ी करवाई है जिसका गैरसायला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.25 18:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ने कब्जा भी नहीं लिया है इसलिए यह दान पत्र सायलान संख्या 1 ता 2 व तरतीवी प्रतिवादी 4 के हितो के खिलाफ शुन्य दस्तावेज है। उपरोक्त भूमि में सायलान संख्या 1 ता 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 का गैरसायला संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है लेकिन गैरसायला संख्या 1 धोके से हासिल हुई भूमि से उत्साहित होकर समस्त भूमि को रहन, वैय व बेचान करने की फिराक में यदि गैरसायला संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायलान गैरसायला संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने के अधिकारी है कि वह उपरोक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 2 केएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 0.5060 हैक् व रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 11/11 की 2.0505 हैक व चक 1 केएम के खाता संख्या 11/12 की 0.113 हैक भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा 2 के. एम. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 14/15 के प० नं0 221/385 (2) के किला नं. 16 व 25 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है० भूमि व रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 11/11 के प० नं० 229/389 (1) के किला न. 24/1 की 0.0520 है० भूमि व प० नं० 229/388 (4) के किला नं. 3/1 की 0.2020 है०, 8 की 0.2530 है०, 9/3 की 0.0765 है0, 19/2 की 0.2020 है०, व 20 ता 22 प्रत्येक की 0. 2530 है० व प० नं0 229/389 (10) के किला नं. 1/1 की 0.2270 है0, 1/2 की 0.0260 है० गै० मु० खाला, 2/1 की 0.2280 है0, 2/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला कुल किता 12 का कुल क्षेत्रफल 2.0505 है० भूमि व चक 1 के एम के खाता संख्या 11/12 की 0.113 है० भूमि गैरसायला संख्या [illegible] रिकार्ड है उक्त भूमि पैतृक भूमि है, गैरसायला संख्या 1 कृष्णा देवी के नाम दर्ज [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जा काश्त में है तथा विधि विरूद्ध तरीके से दान [illegible] की शर्तो को पुरा किये बिना किया गया है दानग्रहिता ने दान देहिता को धोके में रखकर [illegible]खा पढी करवाई है जिसका गैरसायला संख्या 1 ने कब्जा भी नहीं लिया है इसलिए यह दान पत्र सायलान संख्या 1 ता 2 व तरतीवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.25 18:21:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

प्रतिवादी 4 के हितो के खिलाफ शुन्य दस्तावेज है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दानपत्र बाबत भी दस्तावेज पेश नही किया है एवं नही ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो अर्थात की सायलान के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हो उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 15.06.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.25 18:21:50 IST
Reason: SelfAttested